उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–28/2016–17

राम प्रसाद मंडल

बनाम्

रैयान मौजा–बेलडीहा वगै0

–: आदेश :–

दिनांक 17/3/23

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं एवं विज्ञ सरकारी वकील को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता राम प्रसाद मंडल, पिता–स्व0 लखी मंडल, सा0–कतरा, थाना–गोड्डा(मु0), जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपील वाद का सारांश यह है कि अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने पी0ए0 केश नं0–313/2007–08 के आदेश दिनांक–17.09.2016 के द्वारा मौजा–बेलडीहा के प्रधान नियुक्ति हेतु मौजा के सौलह आना रैयतों को नोटिश दिया है, जिसके विरूद्ध अपीलकर्त्ता के द्वारा वर्तमान अपील वाद दायर किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलकर्त्ता ने संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत पी0ए0 केश नं0–321/2007–08 दायर किया था एवं रमेश मरण्डी ने संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत पी0ए0 केश नं0–313/2007–08 दायर किया था। दोनों वाद को एक साथ सम्बद्ध किया गया। इसके बाद दिनांक–17.09.2016 को सौलह आना रैयतों को नोटिश देने हेतु आदेश दिया गया एवं आवेदक रमेश मरण्डी, एमटल हेम्ब्रम एवं राम प्रसाद मंडल के आवेदन पर प्रधान चुनने के लिए सौलह आना रैयतों को बुलाया गया। इस प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। क्योंकि कई व्यक्तियों के द्वारा प्रधान नियुक्ति के लिए आवेदन दिये जाने पर सबसे पहले उस व्यक्ति के दावा पर विचार किया जाना चाहिए, जिसने संथाल पगरना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम की धारा 6 के तहत आवेदन किया है। धारा 6 के तहत दावा किये गये व्यक्ति के प्रधानी पद के लिए योग्य नहीं होने पर ही संथाल पगरना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम की धारा 5 पर विचार किया जा सकता है। उनका आगे कथन है कि मौजा के अंतिम प्रधान महाराज राउत थे। जिनकी नियुक्ति पी0ए0 केश नं0–187/1934–35

के द्वारा की गई थी। गत प्रधान महाराज राउत को दो पुत्र लखी मंडल और चुनचुन मंडल थे। लखी मंडल को दो पुत्र एक अपीलकर्त्ता और दूसरा इन्दर मंडल उर्फ घनश्याम मंडल हैं। गत प्रधान के ज्येष्ठ पोता होने के कारण अपीलकर्त्ता के आवेदन पर पहले संथाल पगरना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम की धारा 6 के तहत विचार किया जाना चाहिए था। लेकिन निम्न न्यायालय ने मौजा के सौलह आना रैयतों को आवेदक रमेश मरण्डी, एमटल हेम्ब्रम एवं राम प्रसाद मंडल के बीच चुनाव करने हेतु नोटिश दिया। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करते हुए संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत अपीलकर्त्ता को मौजा–कतरा का प्रधान नियुक्त करने के लिए अभिलेख अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा को वापस भेजने हेतु अनुरोध किया है।

रमेश मरण्डी एवं एमटल हेम्ब्रम के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–बेलडीहा काफी समय से खास है। गत सर्वे सेटलमेंट में भी चन्दरोजा दखल खास मालिक प्रधानी जोत दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि मौजा में कोई प्रधान नियुक्त नहीं था। अपीलकर्त्ता के द्वारा गलत ढंग से तैयार किया गया कागजात प्रस्तुत किया गया है। इसलिए अपीलकर्त्ता का दावा स्वीकार्य योग्य नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत नियुक्ति हेतु अभिलेख अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा को वापस करने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, गोड्डा सदर के पत्रांक–1230/रा0 दिनांक–16.09.2020 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–बेलडीहा थाना नं0–341 एक प्रधानी मौजा है। पंजी–II के अवलोकन से पाया कि खाता संख्या–01 रकवा 09–03–13 धुर जमीन किस्म प्रधानी जोत चन्द्ररोजा खास मालिक के नाम से दर्ज है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पी0ए0 केश नं0–187/1934–35 के द्वारा महाराज राउत, पे0–जीअन राउत, ग्राम–कतरा को प्रधान नियुक्त किया गया था। नियुक्त प्रधान की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी है। अपीलकर्त्ता पूर्व प्रधान का पोता है। पूर्व प्रधान की मृत्यु के बाद प्रधानी पद रिक्त हुआ है। उनका आगे प्रतिवेदन है कि रमेश मरण्डी, पिता–स्व0 जपुत मरण्डी, एमटेल हेम्ब्रम, पिता–स्व0 जेठा हेम्ब्रम एवं पुलिस मरण्डी, पिता–स्व0 मुख्तार मरण्डी सभी

बेलडीहा के रैयत है। जिनका रिक्त प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम 5 के तहत दावा है।

विज्ञ सरकारी वकील का कथन है कि गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में चन्द्ररोज खास अंकित है एवं अंचल अधिकारी, गोड्डा के प्रतिवेदन से यह भी स्पष्ट होता है कि उक्त मौजा में लगान का खास वसूली होते आ रहा है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के बहस सुनने एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–बेलडीहा खाता नं0–01 चन्द्ररोजा दखल खास मालिक कहकर दर्ज है। अपीलकर्त्ता के द्वारा दावा किया गया है कि अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पी0ए0 केश नं0–187/1934–35 के द्वारा महाराज राउत को मौजा–बेलडीहा का प्रधान नियुक्त किया गया है एवं अपीलकर्त्ता महाराज राउत के पोता है। लेकिन यह स्पष्ट है कि मौजा–बेलडीहा गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में ही चन्द्ररोजा दखल खास मालिक अंकित है एवं अंचल अधिकारी, गोड्डा के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि वर्षों से प्रधान नियुक्त नहीं होने के कारण प्रधानी पद रिक्त है एवं लगान का खास वसूली होते आ रहा है। अपीलकर्त्ता के द्वारा भी गत प्रधान को निर्गत पट्टा एवं लगान जमा किये जाने का कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपीलकर्त्ता का दावा स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है। अतएव निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पी0ए0 केश नं0–313/2007–08 आदेश दिनांक–17.09.2016 को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन खारिज किया जाता है एवं संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत नियुक्ति हेतु अभिलेख अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा को भेजने का आदेश दिया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

17/03/23

उपायुक्त,
गोड्डा।

17/3/23

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2023.09.05 11:59:36 +05:30
Location: 172.21.32.1